Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **श्रीगंगानगर में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अधिशासी अभियंता 25 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *05 जुलाई, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सतीश बंसल अधिशासी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खंड अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सड़क निर्माण कार्यों के बकाया बिलों कुल राशि **35 लाख 83 हजार रुपये** के भुगतान करने की एवज में सतीश बंसल अधिशासी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खंड अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर द्वारा कुल राशि के **2 प्रतिशत कमीशन** के हिसाब से **70 हजार रुपये** तथा पूर्व के बकाया कमीशन **30 हजार रुपये** कुल मिलाकर **1 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के बीकानेर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी की श्रीगंगानगर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पवन मीणा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री भूपेन्द्र सोनी** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये की एवज में सतीश बंसल पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद बंसल निवासी मकान नं0 437, बरकत नगर, जयपुर हाल अधिशासी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खंड अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी अधिशासी अभियंता द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **75 हजार रूपये** की रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।